अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 637 सन् 2010

पताशो कुंअर व अन्य........वादिगण

बनाम

कालावती देवी व अन्य............प्रतिवादीगण

दिनांक– 01.03.2021

वादी की ओर से हाजिरी दी गई। प्रतिवादीगण अनुपस्थित है। वादीगण की ओर से आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 05.11.2020 पर अभिलेख आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदन में वादीगण का कथन है कि टंकक की गलती से वादपत्र में कुछ बातें टंकित होना छूट गई है। एवं कुछ बातें गलत टंकित हो गई है। ऐसी स्थिति में वादपत्र में संशोधन करना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन साधारण प्रकृति का है जिससे वाद का स्वरूप नहीं बदलता है। अतः निवेदन है कि आवेदन में लिखित बातों का वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि वर्तमान वाद में विचारण प्रारंभ हो गया है और अभिलेख वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुतिकरण हतु नियत चला आ रहा है। वादीगण की ओर से जिन तथ्यों का संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया है, उससे वाद की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् पोषणीय नहीं है। वादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन स्वीकृत किए जाने

योग्य नहीं है। अतः वादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 05.11.2020 को खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक 03.05.2021 को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

सब जज

सोनपुर सारण।